

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ।

पत्र सं. ²⁵² ~~3~~ / जि.वि.से.प्रा.बदायूँ / प0स0वि0 / 2025

दिनांक :- 03.03.2025

आवेदन आमंत्रण हेतु विज्ञापित

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को संचालित कराने एवं आम जनमानस को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा जनपद स्तर पर एवं तहसील स्तर पर कार्य करने हेतु निम्न तालिकानुसार पराविधिक स्वयंसेवकगण के पदों पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	कार्य-क्षेत्र का नाम	नियुक्त किये जाने वाले पी.एल.वी. की संख्या
1.	जिला मुख्यालय	20 (बीस)
2.	तहसील-सदर (बदायूँ)	04 (चार)
3.	तहसील-बिसौली (बदायूँ)	04 (चार)
4.	तहसील-सहसवान (बदायूँ)	04 (चार)
5.	तहसील-दातागंज (बदायूँ)	04 (चार)
6.	तहसील-बिल्सी (बदायूँ)	04 (चार)

पराविधिक स्वयंसेवकगण पद हेतु निर्धारित योग्यताएँ:-

1. पराविधिक स्वयंसेवक की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित हैं-

अ- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के रूप में आवेदक को साक्षर होना चाहिए, तथा मैट्रिकुलेट पास आवेदक को अधिमानतः प्रदान की जायेगी।

ब- पराविधिक स्वयंसेवकगण की नियुक्ति हेतु आवेदन निम्नांकित समूहों में से किया जा सकता है-

1. शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षकों सहित)
2. सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारीगण एवं वरिष्ठ नागरिक,
3. सामाजिक कार्य परास्नातक के छात्र एवं शिक्षक,
4. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री,
5. चिकित्सक / फिजीशियन,
6. छात्र एवं विधि छात्र (उनके अधिवक्ता पंजीकृत होने तक)
7. गैर-राजनैतिक, सेवा-उन्मुख गैर-शासकीय संगठनों एवं क्लबों के सदस्य,
8. महिला पड़ोस समूह, मैत्री संघम और अन्य स्वयं सहायता समूहों (हाशिए पर एवं निःशक्त समूहों सहित) के सदस्यगण,
9. कारागार में लम्बी अवधि की सजा काट रहे, अच्छा व्यवहार करने वाले शिक्षित बन्दीगण,
10. ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समिति पराविधिक स्वयंसेवक के रूप में उपयुक्त समझे।

स- पराविधिक स्वयंसेवक हेतु केवल स्थानीय व्यक्तियों को ही चयनित किया जायेगा।

2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अधिवक्तागण को पराविधिक स्वयंसेवक के रूप में सूचीबद्ध अथवा लगाया नहीं जायेगा।
3. पराविधिक स्वयंसेवक पद हेतु आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, किन्तु अधिकतम आयु-सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

महत्वपूर्ण नियम व शर्तें:-

1. जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर हेतु क्रमशः 20 एवं 04 प्रति तहसील की दर से कुल 40 पराविधिक स्वयंसेवकगण की नियुक्ति की जायेगी।
2. पराविधिक स्वयंसेवकगण की नियुक्ति चयनोपरान्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के तिथि से आगामी 01वर्ष के लिए की जायगी।
3. पराविधिक स्वयंसेवकगण की नियुक्ति पराविधिक स्वयंसेवकगण योजना (संशोधित) मार्गदर्शिका के अनुरूप की जायगी।

4. आवेदक अपने आवेदन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ को **अन्तिम तिथि 18.03.2025** को समय 05.00 बजे तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।
5. आवेदन-पत्र में वर्णित कालम सं०-01 में आवेदक अपने कार्य करने हेतु इच्छित स्थल या तो जिला मुख्यालय स्तर अथवा तहसील स्तर पर कार्य करने की मंशा अनिवार्य रूप से व्यक्त करेगा।
6. पराविधिक स्वयंसेवक को कार्य हेतु प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत मानदेय के अतिरिक्त कोई वेतन, पारिश्रमिक अथवा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
7. आचरण एवं कार्य सम्बन्धी पश्चात्तवर्ती किसी भी अयोग्यता के आधार पर पराविधिक स्वयंसेवक को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा सेवा से किसी भी समय अवमुक्त किया जा सकता है।
8. प्रार्थी द्वारा आवेदन-पत्र संलग्न प्रारूप पर, जिसमें आवेदक की समस्त व्यक्तिगत, शैक्षणिक व अन्य योग्यता व अनुभव आदि का समस्त विवरण एवं दो स्व पते लिखे लिफाफे मय पंजीकृत डॉक टिकट के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।
9. आवेदन-पत्र में वांछित समस्त सूचनायें अनिवार्य रूप से भरकर निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर स्वप्रमाणित अवश्य करें।
10. आवेदन-पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों व प्रमाण-पत्रों तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
तदनुसार सर्वसम्बन्धित सूचित हों।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(मनोज कुमार-तृतीय)

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ।

पत्रांक व दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बदायूँ
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बदायूँ।
3. अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसियेशन, बदायूँ।
4. अध्यक्ष/सचिव, जिला सिविल बार एसोसियेशन, बदायूँ।
5. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय बदायूँ।
6. केन्द्रीय नाजिर, कलेक्ट्रेट, बदायूँ।
7. सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय बदायूँ को इस आशय से कि वह जनपद न्यायालय, बदायूँ की वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. प्रधानाचार्य, बॉके बिहारी विधि कॉलेज, उझानी, बदायूँ।
9. जिला सूचना अधिकारी, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति को जन-साधारण की जानकारी हेतु समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायें।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. श्री संजय सिंह-प्रथम, सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ।

पराविधिक स्वयंसेवक पद हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदित कार्य-स्थल : जिला मुख्यालय पर () या तहसील स्तर पर ()
2. अभ्यर्थी का नाम
(हिन्दी में) :
(अंग्रेजी में) :
3. लिंग : पुरुष () महिला () अन्य ()
4. पिता/पति का नाम :
5. जन्मतिथि (अंको में) :
(शब्दों में) :
6. जातिगत श्रेणी :
7. निवास का पता :

आवेदक का नाम
पासपोर्ट साइज
स्वप्रमाणित हाल
ही का खिंचा हुआ
रंगीन फोटो चस्पा
करें।

पोस्ट-.....तहसील.....जिला बदायूं।

8. मोबाईल संख्या :
9. ई-मेल पता :
10. अन्तिम शैक्षिक-योग्यता :
11. शैक्षिक-योग्यता विवरण :

क्र. सं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था	वर्ष	श्रेणी	अंको का प्रतिशत
1.	हाई स्कूल/समकक्ष				
2.	इण्टरमीडिएट/समकक्ष				
3.	स्नातक				
4.	परास्नातक				
5.	अन्य				

12. अन्य विशेष योग्यता :
13. वर्तमान पेशा/व्यवसाय :
14. अनुभव (यदि कोई हो) :

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त सभी सूचनायें मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य हैं। यदि किसी भी समय उक्त सूचनायें गलत या झूठी पाई गयी तो उसकी पूर्णरूपेण जिम्मेदारी मेरी स्वयं होगी व इस सम्बन्ध में मेरे विरुद्ध की गयी कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी। मैंने आवेदन सम्बन्धी सभी नियम/शर्तों का अवलोकन कर लिया है तथा वे सभी मुझे स्वीकार हैं।

संलग्नक:-

दिनांक:-

स्थान:-

आवेदक के हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण निर्देश:- आवेदन-पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक, अन्य योग्यता व अनुभव अभिलेखों व प्रमाण-पत्रों तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।